न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/ 1452 दिनांक 05/07/2022

प्रार्थीगण :-
1.गोरधनराम पुत्र जेहाराम
2.धायी पत्नि जेहाराम
जातियान जाट, निवासी आईदान की ढाणी
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-
1. लाभू पुत्र डूंगराराम 2.जगदीश 3.बांकाराम पि.धोकलाराम 4.पोकर 5.करना पि. सुरताराम
जाति जाट, निवासी आईदान की ढाणी
तहसील चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 286/2018 दिनांक : **05.07.2022**

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र धारासर के मौजा आईदान की ढाणी के खेत खसरा सं. 578/536 रकबा 33.13 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है| उक्त विवादित भूमी की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमी की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे|

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों| आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है | प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे |

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

(उपखण्ड अधिकारी चौहटन) ok

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

क्रमांक/भू.अ./2022/ 1453 to 1456 दिनांक 05/07/2022

प्रतिलिपि :-
1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण गोरधनराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण लाभू वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.09.21 12:27:49 IST
Reason: SelfAttested

(भागीरथ राम)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन ok